

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन भोपाल-462004

क्रमांक- 1740 / 180 / बजट / 2018
प्रति,

भोपाल, दिनांक 5/9/2018

आहरण एवं संवितरण अधिकारी /
क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,
उच्च शिक्षा, (नीचे दर्शाये अनुसार)
मध्यप्रदेश

विषय:- आयुक्त कार्यालय एवं क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक कार्यालयों हेतु बजट आवंटन वित्तीय वर्ष 2018-19

उपरोक्त विषय में निम्नलिखित आहरण संवितरण अधिकारियों को उनके समक्ष अंकित अनुसार बजट आवंटन स्वीकृत किया जाता है :-

क	आहरण संवितरण अधिकारी का नाम	पत्र क्रमांक एवं दिनांक	बजट शीर्ष 44-2202-03-001-0101-3443-	आवंटित राशि
1	आहरण संवितरण अधिकारी (केशब्रांच) कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा भोपाल	199/08/के शब्रांच/18, दि.4.8.18	3443-22-008 अन्य आकस्मिक व्यय 3443-31-007-परिवहन व्यवस्था 44-2202-03-103-0798-0101-22-004 पुस्तकें एवं नियतकालिक पत्रि. 44-2202-03-102-0101-5551-42-007 सहा.अनु 44-2202-03-102-0101-5490-11-009 चि.प्रति.	1.00 6.00 3.00 1.50 0.25
2	क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा जबलपुर संभाग जबलपुर	1109/13.7.18, 1862/13.7.18	-3443-0101-31-003 अभिभाषकों की फीस -3443-0101-31-007 परिवहन व्यवस्था	0.55 3.20
3	क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा ग्वालियर संभाग ग्वालियर	276/25.7.18	44-2202-03-001-3443-0101-22-006 वर्दी	0.20
	योग			15.70

- (2) उल्लेखनीय है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष से योजना क्रमांक 8808-सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य योजना को योजना क्रमांक 5551-आधुनिक तकनीक से शिक्षण व्यवस्था योजना में मर्ज किया गया है। अतः तदनुसार योजना क्रमांक 5551 अन्तर्गत आवंटन जारी किया गया है।
- (3) उक्त राशि का आहरण उपरोक्तानुसार उल्लेखित बजट शीर्ष अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट से विकलनीय होगा।
- (4) व्यय करने के पूर्व समय-समय पर मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा जारी अद्यतन निर्देशों एवं अद्यतन भण्डार कय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जावे।

(5) सामग्री का क्रय एवं राशि का व्यय/भुगतान प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत, अद्यतन म0प्र0 भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 का पालन सुनिश्चित किया जावे।

(6) कय सामग्री एवं व्यय राशि का विधिवत अभिलेख संधारण किया जावे एवं गुणवत्ता आदि का परीक्षण कर प्रमाण पत्र अंकित किया जावे तथा उपयोग की गई राशि का का पूर्ण विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये।

(7) मितव्ययता का ध्यान रखें एवं किसी भी मद में अनावश्यक व्यय नहीं किया जावे।

(8) किसी भी स्थिति में आबंटित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जाए।

(9) किसी भी प्रकार के अनियमित व्यय/भुगतान की जिम्मेदारी संबंधित प्राचार्य की होगी।

“आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित”

अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक- 6/9/2018

पृ0क0-174 / 180 / बजट / 2018

प्रतिलिपि-

1. निज सचिव, मान.मंत्रीजी/राज्यमंत्रीजी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल
2. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) मध्यप्रदेश ग्वालियर।
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, भण्डार प्रकोष्ठ कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा भोपाल
4. संबंधित कोषालय/उपकोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश।

अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश